



परिषद की लखनऊ जोन के अन्तर्गत योजनाओं में आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियों का आवंटन/नीलामी

आवंटन/नीलामी तिथि
30 जून, 2015
समय प्रातः 11:00 बजे

नीलामी स्थल : आफिस काम्प्लेक्स, सेक्टर-9, वृन्दावन योजना, लखनऊ

नीलामी से निस्तारित होने वाली व्यवसायिक सम्पत्तियाँ

नीलामी से निस्तारित होने वाली व्यवसायिक सम्पत्तियाँ

राजाजीपुरम् योजना, लखनऊ : चबूतरा-01 नग

सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	कुल मूल्य	टोकन धनराशि	आरक्षण
55/2	4.00	484000.00	48400.00	सामान्य

ओबरी योजना, बाराबंकी : व्यवसायिक भूखण्ड-10 नग

प्लॉट सं०	क्षेत्रफल (व०मी०)	आरक्षित मूल्य प्र०व०मी०	आरक्षण श्रेणी	एफ०ए० आर०	ऊँचाई	अधिकतम ग्राउण्ड कवरेज
CP-8, 9, 11 से 16	434.50	19040	अनारक्षित	1.2	10.5 मी०	40%
5/CP-25 (C)	124.81	20944	SC	1.2	10 मी०	60%
5/CP-27 (C)	139.75	20944	GEN	1.2	10 मी०	60%

वृन्दावन योजना, लखनऊ सेक्टर-17 में निर्माणाधीन

नीलगिरी इन्क्लेव/हिमालय इन्क्लेव फ्लैटों का विवरण

नीलगिरी इन्क्लेव/हिमालय इन्क्लेव में अवशेष रिक्त फ्लैटों के आवेदन पत्र कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्ध, आफिस काम्प्लेक्स, सेक्टर-9, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ में रु. 500.00 जमा करके पंजीकरण पुस्तिका प्राप्त कर आवंटन तिथि से दो दिन पूर्व तक जमा की जा सकती है।

फ्लैट का प्रकार	फ्लैटों की संख्या	निर्मित क्षेत्रफल	सुपर एरिया (वर्ग मी० में)	प्रस्तावित अनुमानित विक्रय मूल्य (रु० लाख में)	अनुमानित पंजीकरण धनराशि (रु० लाख में)	चयन के पश्चात आवंटनपत्र निर्गत करने के 30 दिन के अंदर देय धनराशि	अवशेष भुगतान सात तिमाही क्रिस्तों में (प्रत्येक क्रिस्त की प्रस्तावित धनराशि)
-----------------	-------------------	-------------------	---------------------------	--	---------------------------------------	--	---

नीलगिरी इन्क्लेव : फ्लैट्स-04 नग

TYPE	4	-	63.28	24.37	2.44	2.75 Lakh	2.74 Lakh
F-82							
1BHK							

हिमालय इन्क्लेव : फ्लैट्स-10 नग

2 BHK	1	80.57	97.31	38.61	1.94	580000	441000
2 BHK +Study	5	97.89	118.70	47.09	2.36	721000	536000
3 BHK	3	121.23	141.76	56.25	2.82	842000	643000
3 BHK +Study	1	134.18	157.53	62.50	3.14	931000	715000

नीलामी से निस्तारित होने वाली आवासीय सम्पत्तियाँ

वृन्दावन योजना, लखनऊ : उच्च आय वर्ग भवन (106/162 प्रकार)-02 नग

सम्पत्ति श्रेणी व संख्या	आरक्षण	क्षेत्रफल (व०मी० में)	भवन का मूल्य (लाख में)	टोकन मनी रु०
20A/245 भवन	SC/RGS	162.00	44.64	223200.00
20A/339 भवन	OBC/FF/MP/MLA	162.00	44.64	223200.00

वृन्दावन योजना, लखनऊ : अल्प आय वर्ग भवन-01 नग

6A/126 भवन	GEN	62.72	15.25	76250.00
------------	-----	-------	-------	----------

प्रहलादपुरी योजना, हरदोई: आवासीय भूखण्ड - 08 नग

भूखण्ड संख्या तथा आरक्षण	क्षेत्रफल (व०मी०)	आरक्षित दर प्र.व.मी.	टोकन मनी रु०
B-31/1 (SC)	148.68	11200.00	83300.00
B-31/10 (OBC)	155.85	11200.00	87300.00
B-31/11 (SC)	87.00	11200.00	48800.00
B-31/12 (GEN)	81.00	11200.00	45400.00
B-31/13 (GEN)	75.00	11200.00	42000.00
B-31/14 (GEN)	69.00	11200.00	38700.00
B-31/15 (OBC)	62.40	11200.00	35000.00
B-31/16 (C) (GEN)	54.90	12320.00	33900.00

आवंटन से निस्तारित होने वाली आवासीय सम्पत्तियाँ

वृन्दावन योजना, लखनऊ : दुर्बल आय वर्ग भवन 18/40 (फिनिशड)-02 नग

6A/994 (GEN)	MLA/MP/FF	40.74	1062300.00	53115.00
6A/1014 (OBC)	MLA/MP/FF	40.74		26560.00

नोट:- दुर्बल आय वर्ग (विशिष्ट श्रेणी) के भवनों में सम्पत्ति सीमा लागू है। आय सीमा लागू नहीं है।

वृन्दावन योजना, लखनऊ : दुर्बल आय वर्ग भवन 18/40 (सेमी फिनिशड)-05 नग

5D/160	SC	41.30	900600.00	22515.00
5D/162	OBC	41.30	900600.00	22515.00
5D/168	GEN	41.30	900600.00	45030.00
5D/170	GEN	52.24	1132400.00	56620.00
7C/305	GEN	45.59	920000.00	46000.00

वृन्दावन योजना, लखनऊ : दुर्बल आय वर्ग भवन (जी+2) निरस्तीकरण से प्राप्त-14 नग

सम्पत्ति संख्या तथा आरक्षण	क्षेत्रफल (व०मी०)	भवन का मूल्य (लाख में)	टोकन मनी रु०
5E-1/24,14/33,8/32(SC),10/32,4/22,7/31,21/34,24/23,35/08,31/8(OBC),6/22,6/33,1/34,822(GEN)	18.77 से 20.15	688700.00 से 714900.00	17220.00 से 35450.00

नोट:- EWS भवनों में सम्पत्ति सीमा/आय सीमा लागू है। शासन/परिषद द्वारा निर्धारित आय रु० 1 लाख की सीमा तक के आवेदक सक्षम अधिकारी (जिलाधिकारी कार्यालय) द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र/आरक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। कार्नर की दशा में 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देय होगा।

आवास आयुक्त

मुख्य नियम व शर्तें:- (1) आवेदन/सीलड बिड फार्म सम्बन्धित शहर/योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से रु. 100/- जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। (2) व्यवसायिक सम्पत्ति हेतु 10 प्रतिशत तथा आवासीय सम्पत्ति हेतु 5 प्रतिशत टोकन मनी बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर, जो “उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद” के पक्ष में सम्बन्धित शहर में भुगतान योग्य देय हो, सहित नीलामी से एक दिन पूर्व तक संबंधित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय/जोन कार्यालय में जमा किया जा सकता है अथवा नीलामी के दिन नीलामी प्रारम्भ होने के पूर्व टोकन प्राप्त कर खुली बोली में भाग लिया जा सकता है। (3) आवेदन पत्र/सीलड बिड के साथ निर्धारित प्रारूप पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। (4) जाति प्रमाण-पत्र उ०प्र० शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उ०प्र० शासन द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिये। (5) सम्पत्तियों का विस्तृत विवरण तथा नियम/शर्तों की जानकारी सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है एवं परिषद की वेबसाइट <http://www.upavp.com> पर Public Notice के अन्तर्गत देखी जा सकती है। (6) किसी भी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

परिषद से सम्बन्धित समस्या हमसे करें

जनसुविधा केन्द्र
परिषद से समस्या के निराकरण हेतु डायल करें
1800-180-5333 (टोल फ्री) 0522-2236803
यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक उपलब्ध है।

IS 15700:2005
सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ
Website : <http://www.upavp.com>; E-mail : info@upavp.com

भारतीय मानक मूले IS 15700
SGMS